न्यायालयः—दशम अपर सत्र न्यायाधीश रीवा, जिला रीवा म0प्र0

(समक्ष—शशांक खरे)

जमानत आवेदन कमांक—1335 / 2026

फा.नं. बी.ए.—7986 / 2026

सी.एन.आर.एम.पी.1701—010806—2026

संस्थित दिनांक—10.08.2026

1. प्रसून तिवारी पुत्र रमाकांत तिवारी, उम्र—40 वर्ष,
2. राजकुमार तिवारी पुत्र रमाकांत तिवारी, उम्र—47 वर्ष,

दोनों निवासी मोहल्ला अनंतपुर थाना विश्वविद्यालय रीवा (म0प्र0)

.....**आवेदकगण**

::—**विरूद्ध**—::

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र सिविल लाइन, जिला रीवा म0प्र0।

.....**अभियोगी**

प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र

अन्तर्गत धारा 483 बी0एन0एस

12.08.2026

माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर के मिसलीनियस क्रिमिनल केस नंबर 8227 / 2023 के पैरा—9 में दिए गए आदेश के पालन में प्रकरण से संबंधित जानकारी निम्नानुसार है :—

क.	तथ्य	जानकारी
1	प्रथम सूचना रिपोर्ट कमांक	367 / 2024
2	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने का दिनांक	20.08.2024
3	थाने का नाम	थाना सिविल लाइन
4	आपराधिक पूर्ववृत्त / आवेदक का आपराधिक पूर्व वृत्तांत	आरोपी प्रसून तिवारी एवं राजकुमार तिवारी **(1)** थाना विश्वविद्यालय के अपराध क0 201 / 10 धारा 324, 34 भा.दं.सं तथा आरोपी राजकुमार तिवारी **(1)** अप0क0 194 / 21 धारा 294, 323, 324, 506 भा.दं.सं
5	आरोपी प्रसून तिवारी गिरफ्तारी दिनांक आरोपी राजकुमार तिवारी गिरफ्तारी दिनांक	21.08.2024 03.09.2024
6	जमानत आवेदन पत्र अनुसंधान के दौरान प्राप्त हुआ है अथवा चालान प्रस्तुत होने के बाद	चालान प्रस्तुती पश्चात
7	यदि जमानत आवेदन चालान प्रस्तुत होने के बाद प्रस्तुत हुआ है तो चालान प्रस्तुत होने की तारीख	18.11.2024

आवेदक / अभियुक्त प्रसून तिवारी एवं आरोपी / अभियुक्त राजकुमार तिवारी द्वारा श्री त्रिलोचन सिंह अधिवक्ता उपस्थित।

राज्य द्वारा श्रीमती सरिता सिंह लोक अभियोजक

उपस्थित।

थाना सिविल लाइन के अपराध क्रमांक 367/2024 अंतर्गत धारा 103(2), 127, 3(5) बी0एन0एस0 की केस डायरी मय प्रतिवेदन प्राप्त। मूल सत्र प्रकरण क्रमांक–01/25, शासन बनाम प्रियंका वगै0 प्राप्त।

धारा 483 बी0एन0एस के आवेदन के समर्थन में रविनेश कुमार मिश्रा पिता रामपाल मिश्रा जो कि आवेदक/अभियुक्तगण के रिश्ते के फूफा हैं, ने इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि आवेदक/आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत यह **प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र** है। उक्त आवेदन पत्र के अलावा अन्य कोई जमानत आवेदन पत्र सत्र न्यायालय, मान्नीय उच्च न्यायालय या मान्नीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है और न ही निराकृत किया गया है।

आवेदन पत्र आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से अंतर्गत धारा 483 बी0एन0एस **प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र** के आधार संक्षेप में इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि आवेदकगण निर्दोष हैं उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, उन्हें झूठा फंसाया गया है। आवेदक क्र01 की पत्नी श्रीमती प्रियंका तिवारी नशे के आदे हो थे जिन्हें नशामुक्ति केन्द्र हमीदिया कॉलोनी के पीछे ढेकहा में इलाज हेतु भर्ती किया जाता था तथा कुछ ठीक होने पर कुछ दिनों के लिये दवा देकर घर भेज दिया जाता था। नशा मुक्ति केन्द्र में अन्य चिकित्साकों के साथ मृतक रूद्रशेन गुप्ता आयुर्वेद चिकित्सक था वह भी नशा मुक्ति केन्द्र में भर्ती मरीजों को दवा देता था जब नशा मुक्ति केन्द्र से कुछ दिनों के लिये घर आ गया तब वहां मृतक रूद्रशेन ने उनके घर आकर दवा देने के बहाने आवेदक क्र01 की पत्नी श्रीमती प्रियंका तिवारी के साथ अश्लील हरकतें की थी जिसकी शिकायत नशामुक्ति केन्द्र के संचालक से करने पर नशामुक्ति केन्द्र में बुलाया वहां पर मृतक रूद्रशेन गुप्ता भी मौजूद था। वहां उसके साथ नशामुक्ति केन्द्र में मौजूद लोग मारपीट कर रहे थे जिसके साथ अवेदकगण ने श्रीमती प्रियंका तिवारी ने भी उससे अश्लील हरकत करने के कारण मारपीट की। नशामुक्ति केन्द्र में रूद्रशेन से मारपीट करने के कारण बाद में उसको शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसकी मृत्यु हो गई। आवेदकगण ने उनके घर की बहू प्रियंका तिवारी के साथ रूद्रसेन गुप्ता के द्वारा दी गई अश्लीलता के क्रोधवश एक दो हाथ मारपीट की गई है तो उसका उद्देश्य हत्या करने का नहीं था। आवेदकगण करीब 02 वर्ष से न्यायिक अभिरक्षा में हैं और प्रकरण के निराकरण में पर्याप्त विलम्ब होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य के अवलोकन से प्रकरण साशय हत्या का

अपराध प्रथम दृष्ट या नहीं बनता है। प्रकरण के तीन सहअभियुक्तों की जमानत हो चुकी है, जिससे आवेदकगण भी जमानत के पात्र हैं। आवेदक/आरोपी न्यायालय के संतुष्टि योग्य जमानत प्रस्तुत करने को तैयार है। अतः आवेदक/आरोपीगण को आजाद किए जाने का निवेदन किया गया है। आरोपीगण की ओर से न्यायदृष्टांत रामचरण बनाम म0प्र0 राज्य 1979(1) व्हीकली नोटस 27, न्यायदृष्टांत भूपेन्द्र सिंह बनाम म0प्र0 राज्य 2000(2) व्हीकली नोटस 133 एवं न्यायदृष्टांत मनोहर बनाम म0प्र0 राज्य 2007(3) व्हीकली नोटस 35 प्रस्तुत किया गया है।

अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए जमानत आवेदन निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

जमानत आवेदन पर उभयपक्ष के तर्क सुने गए।

सत्र प्रकरण 01/25, शासन बनाम प्रियंका तिवारी व अन्य का एवं जमानत आवेदन में लिखे गये तथ्यों पर अवलोकन किया गया। अभियोजन के अनुसार मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 20.08.2024 को थाना सिविल लाइन में न्यू संकल्प नशा मुक्ति केंद्र के केयर टेकर अतुल तिवारी, सुरेश गुप्ता एवं अमित कुमार पाण्डेय ने मृतक रूद्र सेन गुप्ता की मृत्यु की सूचना थाने में दी और बताया कि घटना दिनांक 19.08.2024 को न्यू संकल्प नशा मुक्ति केंद्र व पुनर्वास केंद्र में आरोपी शशांक तिवारी, प्रसून तिवारी, नीलेश तिवारी, राजकुमार तिवारी एवं प्रियंका तिवारी द्वारा एकराय होकर के मारपीट की गई, जिससे मृतक के सिर पर गंभीर चोट आई थी, ईलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

आवेदक/आरोपी प्रसून तिवारी एवं आवेदक/आरोपी राजकुमार तिवारी के विरूद्ध थाना सिविल लाइन के अप0क0 0367/2024 अंतर्गत धारा 103(2), 127, 3(5), 238 बी.एन.एस. के अंतर्गत अन्यअभियुक्तगण सहित अभियोग पत्र प्रस्तुत होने के पश्चात आवेदक/आरोपी पर धारा 103(2) सहपठित धारा 3(5) एवं धारा 127 बी0एन0एस0 का आरोप विरचित किये गये हैं। आवेदक/आरोपीगण द्वारा उसके आवेदन में व्यक्त किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय से तीन सहआरोपीगण की जमानत हो चुकी है तथा आवेदक/आरोपीगण का अपराध उनसे भिन्न नहीं है। न्यायदृष्टांत **Ashish yadav Vs Yashpal & ors (2025 INSC 666)** में मान्नीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि ''**Parity"** के आधार पर जमानत कोई आत्म–स्फूर्त अधिकार नहीं है, हर आरोपी की अपराध कारित करने में की गई भूमिका आरोपी की आपराधिक पृष्ठभूमि, आरोपों की गंभीरता, गवाहों को प्रभावित करने की संभावना आदि का व्यक्तिगत मूल्या ंकन अनिवार्य है। यदि एक सहआरोपी को जमानत मिल गई है तो इसका यह मतलब नहीं है कि बाकी

सभी आरोपियों को जमानत मिलनी ही चाहिए। जिसके संबंध में अभियोगपत्र के अवलोकन से यह दर्शित है कि मृतक रूद्रशेन गुप्ता द्वारा आरोपी प्रियंका तिवारी के साथ अश्लील बातें करने एवं आरोपी प्रसून तिवारी को मृतक द्वारा गोलियां देने की सूचना के आधार पर आरोपीगण द्वारा मृतक रूद्रशेन गुप्ता के साथ मारपीट की गई। आवेदक/आरोपीगण प्रसून तिवारी, प्रियंका तिवारी का पति एवं आवेदक/आरोपी राजकुमार तिवारी, प्रियंका तिवारी का भाई है। मेमोरेण्डम अनुसार प्रसून तिवारी द्वारा मृतक रूद्रशेन गुप्ता के सिर में तथा राजकुमार तिवारी द्वारा मृतक राजकुमार द्वारा मृतक के नाक में तथा डण्डे से मर्मस्थल पर मारा जाना उल्लेखित है। इस प्रकार आवेदक/आरोपीगण की मृतक के साथ प्रत्यक्ष मर्मस्थल पर मारपीट एवं विशिष्ट भूमिका दर्शित होने से उनका अपराध अन्य सहअभियुक्तगण के समान नहीं है। आवेदक/आरोपीगण पर अधिरोपित आरोपी गंभीर प्रकृति के हैं। आवेदक/आरोपीगण राजकुमार तिवारी के 01 तथा आवेदक/आरोपीगण प्रसून तिवारी के 02 आपराधिक रिकार्ड है। अतः प्रकरण की परिस्थिति एवं अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये मामले के गुण दोषों पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं करते हुये यह प्रकट होता है कि यह प्रकरण जमानत संबंधी आदेश प्रदान करने के लिये उचित प्रतीत नहीं होता है। फलतः **आवेदक/आरोपी प्रसून तिवारी एवं आवेदक/आरोपी राजकुमार तिवारी** की ओर से प्रस्तुत **प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र** अंतर्गत धारा 483 बी0एन0स0 **निरस्त** किया जाता है।

आदेश की एक प्रति संबंधित आरक्षीकेन्द्र को केस डायरी में संलग्न करने हेतु प्रेषित की जावे।

आदेश की प्रति मूल सत्र प्रकरण के क्रमांक–01/25 शासन बनाम प्रियंका तिवारी व अन्य के साथ संलग्न की जावे।

जमानत याचिका का परिणाम दर्ज कर पत्रावली मूल अभिलेख के साथ संलग्न की जावे।

सही/–
(शशांक खरे)
दशम अपर सत्र न्यायाधीश
जिला रीवा, म0प्र0

प्रतिलिपिः–

01– आदेश की एक प्रति मूल सत्र प्रकरण क्रमांक–01/25 शासन बनाम प्रियंका तिवारी व अन्य के साथ संलग्न की जावे।

02. आदेश की एक प्रति संबंधित आरक्षीकेन्द्र को केस डायरी में संलग्न करने हेतु प्रेषित की जावे।

(शशांक खरे)
दशम अपर सत्र न्यायाधीश
जिला रीवा, म0प्र0

रीवा, दिनांक–12.08.2026

SHASHANK KHARE

Digitally signed by SHASHANK KHARE
Date: 2026.08.12 17:24:13 +0530